इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 209]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2024-श्रावण 4, शक 1946

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2024

क्रमांक/एफ 1665028/2023/दस-2-यतः, जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (जो इस में इसके पश्चात वाल्मी के नाम से निर्दिष्ट है) परिसर मध्यप्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है तथा प्रस्तावित स्थल 98.791 हेक्ट्रेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन के वाल्मी के स्वामित्व के अधीन है। उक्त परिसर भोपाल शहर की सीमा के भीतर हरित क्षेत्र है, जो कि पारिस्थितिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वन, कृषि, उद्यानिकी और जलीय जैवविविधता में समृद्ध है और इसमें 151 जीव-जन्तु प्रजातियां हैं, जिनमें 29 सरीसृप, 07 उभयचर, 14 स्क्वामाटा, 13 स्तनधारी, 71 पक्षिवृंद और 15 तितली प्रजातियां सम्मिलित हैं। साथ ही वाल्मी परिसर भोपाल में पौधों की 173 प्रजातियां उपलब्ध हैं, जिनमें 53 औषधीय और 08 दुर्लभ पौधों की प्रजातियां सम्मिलित हैं। उक्त परिसर भोपाल कालियासोत बांध के तट पर स्थित है, जो पारिस्थितिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तथा इसे संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है।

और यतः, इस अधिसूचना की अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्र, विस्तार और सीमाओं को पारिस्थितिकी और जैवविविधता के दृष्टिकोण से जैवविविधता विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाना आवश्यक है।

अतएव, जैवविविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 37 की उप-धारा (1) तथा मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 22 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश जैवविविधता बोर्ड के परामर्श से, एतदद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा उल्लिखित वाल्मी परिसर, जिला भोपाल को जैवविविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित करती है।

अनुसूची

| अनु.क्र. | नाम | क्षेत्रफल | अवस्थिति | अधिकार क्षेत्र |
|----------|-----------------|-----------------|---|-------------------------|
| ° 1 | वाल्मी पहाडियां | 41.63 हेक्टेयर | खसरा नंबर-20, 21, 22, 23 तथा 28 | ग्राम-दा मखे ड़ा |
| 2 | वाल्मी पहाडियां | 57.161 हेक्टेयर | खसरा नंबर-2/2/1, 3/2, 3/1, 4, 6, 7, 8, 31/2, 36, 38, 39, 25, 26, 27, 28, 29 तथा 30. | ग्राम-चंदनपुरा |

मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड वाल्मी के सहयोग से निम्नलिखित उपक्रम करेगा -

- 1. जैव विविधता विरासत स्थल क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पतियों एवं प्राणियों के संरक्षण हेतु प्रबंधन योजना तैयार करना।
- 2. स्व-स्थाने एवं बाह्य स्थाने संरक्षण के लिए प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2024

क्र. एफ-1665028-2023-दस-2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-1665028-2023-दस-2, दिनांक 26 जुलाई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशांनुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal, the 26th July 2024

No./F 1665028/2023/X-2.-Whereas, the Water And Land Management Institute (here in after referred to as WALMI) campus is located in Bhopal district of Madhya Pradesh and the proposed site is spread over 98.791 hectare area under the ownership of WALMI under the Panchayat and Rural Development Department, Government of Madhya Pradesh. The said campus is a green space within the boundary of Bhopal city which is rich in Forest, Agricultural, Horticultural and Aquatic biodiversity significant from ecological point of view and there are 151 faunal species which includes species of 29 Reptiles, 07 Amphibians, 14 Squamata, 13 Mammals, 71 Avifauna and 15 Butterfly species. Also there are 173 plant species are available in WALMI campus Bhopal, which includes 53 medicinal and 08 rare plant species. The said campus Bhopal is situated on the bank of Kaliyasot Dam which is important from ecological point of view and needs to be conserved;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries which are specified in the Schedule of this notification as the Biodiversity Heritage Site from ecological and biodiversity point of view;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 37 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003) and sub-rule (1) of rule 22 of the Madhya Pradesh Biological Diversity Rules, 2004, the State Government, in consultation with the Madhya Pradesh State Biodiversity Board, hereby, notifies WALMI campus, district Bhopal as Biodiversity Heritage Site as mentioned in the Schedule below: -

SCHEDULE

| S.No. | Name | Area | Location | Jurisdiction |
|-------|----------------|-------------------|---|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Walmi Hills | 41.63 hectare | Khasra Number:- hectare 20, 21, 22, 23 and 28. | Village - Damkheda |
| 2 | Walmi Hills | 57.161 hectare | Khasra Number:- hectare 2/2/1, 3/2, 3/1, 4, 6, 7, 8, 31/2, 36, 38, 39, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. | Village-Chandanpura |

The Madhya Pradesh State Biodiversity Board shall undertake the following in collaboration with WALMI-

- (1) Prepare Management Plan for conservation of natural flora and fauna of the Biodiversity Heritage Site area.
- (2) Conservation and Propagation of species for in-situ and ex-situ conservation.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ATUL KUMAR MISHRA, Secy.